सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2021-22)

66

सत्रहवीं लोक सभा

छियासठवां प्रतिवेदन

[जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुआ विलंब संबंधी प्रतिवेदन]

(17.12.2021 को प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसम्बर, 2021 अग्रहायण,1943 (शक)

<u>विषय-सूची</u>

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-22) की संरचना	**(iii)**
प्राक्कथन	**(v)**

<u>प्रतिवेदन</u>

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुआ विलंब		01
	अनुबंध	
अनुबंध-एक	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण	08
अनुबंध-दो	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने का कालक्रम	09
	परिशिष्ट	
परिशिष्ट-एक	समिति की 02.08.2021 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण	12
परशिष्ट-दो	समिति की 13.12.2021 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण	15

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-22)
के सदस्यों की सूची

श्री रितेश पाण्डेय - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. श्री पल्लब लोचन दास
6. चौधरी मोहन जटुआ
7. चौधरी महबूब अली कैसर
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

<u>सचिवालय</u>

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्रीमती बी. विशाला	-	निदेशक
3.	श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी	-	अपर निदेशक
4.	श्री कुंदन कुमार	-	समिति अधिकारी
5.	श्री के पी कश्यप	-	सहायक समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति का यह छियासठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 08 मार्च, 1976; 12 मई, 1976 और 22 दिसम्बर, 1977 के क्रमश: पहले प्रतिवेदन और दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) और दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संदर्भ में संगठन/कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखना आवश्यक होता है।

3. समिति ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले पर विचार किया तथा समिति की 02.08.2021 को हुई बैठक में शिक्षा मंत्रालय और प्राधिकरण के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 13 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, शिक्षा मंत्रालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा लिखित उत्तर, अन्य सामग्री/जानकारी प्रस्तुत करने और समिति के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद देती है।

6. संदर्भ की सुविधा हेतु, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित कराया गया है

नई दिल्ली **रितेश पाण्डेय**

15 दिसम्बर, 2021 **सभापति,**

24 अग्रहायण, 1943(शक) **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**

<u>प्रतिवेदन</u>

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली, की स्थापना 1966 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। विश्वविद्यालय विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अपने 13 स्कूलों और 21 केंद्रों / विशेष केंद्रों के माध्यम से पूरे भारत और विदेशों के छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। जेएनयू ने देश के विभिन्न रक्षा संस्थानों और राष्ट्रीय ख्याति के अनुसंधान और विकास संस्थानों को भी मान्यता और प्रत्यायन प्रदान किया है .

2. मंत्रालय यूजीसी को ब्लॉक अनुदान देता है। यूजीसी जेएनयू सहित केंद्रीय विश्वविद्यालय को तीन शीर्षों अर्थात आवर्ती, वेतन और पूंजीगत परिसंपत्ति (पुस्तकें और पत्रिका, परिसर विकास, फर्नीचर और फिक्चर्स सहित अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर आदि) के तहत अनुदान जारी करता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान उनके सांविधिक निकायों अर्थात वित समिति द्वारा अनुमोदित उनकी आवश्यकता के अनुसार भारत सरकार द्वारा धन की उपलब्धता के आधार पर जारी किया जाता है। पूंजीगत परिसंपत्ति के अंतर्गत प्रमुख निर्माण भवन कार्य सीधे शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से एचईएफए द्वारा जारी किया जा रहा है। जेएनयू को 455.02 करोड़ रुपये की राशि एचईएफए के तहत मंजूर की गयी है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को निम्नलिखित अनुदान जारी किया गयाः-

वर्ष	**जारी किया गया अनुदान (लाख रूपये में)**		
	योजनागत	**योजनेत्तर**	**कुल**
2016	**2939.71**	**30306.58**	**33246.29**

वर्ष	**जारी किया गया अनुदान (लाख रूपये में)**			
	आवर्ती	वेतन	**पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ**	**कुल**
2017-18	11426.09	22925.36	3000.00	**37351.45**
2018-19	12657.31	22608.03	1900.00	**37165.34**
2019-20	13810.77	26746.00	1100.00	**41656.77**
2020-21	13405.01	23096.65	850.00	**37351.66**
2021-22 (1 जुलाई, 2021 को)	5414.00	7104.00	0.00	**12518.00**

3. 08 मार्च 1976, 12 मई 1976 और 22 दिसंबर 1977 को सदन में प्रस्तुत 5वीं लोक सभा के प्रथम और द्वितीय प्रतिवेदनों और 6वीं लोक सभा के द्वितीय प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसार क्रमशः, संगठन/कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर सदन के पटल पर रखे जाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखों के संकलन और उनकी लेखा परीक्षा के लिए उचित समय सारिणी निर्धारित की जानी चाहिए।समिति ने महसूस किया कि सामान्यत: तीन महीने की अवधि वार्षिक लेखों के संकलन और उन्हें लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त होगी; अगले छह महीने लेखों की लेखापरीक्षा, प्रतिवेदन की छपाई और इसे सभा पटल पर रखने के लिए सरकार के पास भेजने के लिए दिए जा सकते हैं।यदि किसी कारण से, संस्थानों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं रखे जा सकते है, तो संबंधित मंत्रालय को उपरोक्त अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर या जैसे ही सदन समवेत हो, इनमें से जो भी बाद में हो, उन कारणों की व्याख्या करते हुए एक विवरण देना चाहिए कि दस्तावेज सभा पटल पर क्यों नहीं रखे जा सके।

4. सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति की जांच से पता चलता है कि जेएनयू, नई दिल्ली के 2015-16 से 2019-20 के वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे सदन के पटल पर 05 दिनों से लेकर 07 महीने और 09 दिनों तक की देरी के साथ रखे गए थे। इस प्रकार, शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) और जेएनयू, नई दिल्ली, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के भीतर अपने दस्तावेज रखने की संसदीय आवश्यकता का पालन करने में विफल रहे। जेएनयू, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखों को सभापटल पर रखने की तिथि और विलंब की सीमा **अनुबंध-एक** में दी गई है।

5. 2015-2016 से 2019-2020 तक के वर्षों के लिए जेएनयू, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कालानुक्रमिक क्रम **अनुबंध-दो** में दिया गया है।

6. समिति द्वारा जेएनयू, नई दिल्ली के 2015-16 से 2019-20 के वर्षों के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखों को रखने में देरी के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया: -

"विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि संसद के सदनों के पटल पर वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय पर पटल पर रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान लेखाओं को जमा करने के विवरण निम्नानुसार हैः

2015-16: विश्वविद्यालय ने 06.12.2016 को दस्तावेज जमा किए तथा दिशानिर्देशों के अनुसार इसे वर्ष के 31 दिसंबर तक संसद में रखा जाना था। यद्यपि, विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा / वार्षिक रिपोर्ट को राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय में प्रस्तुत करने से पहले, उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए मंत्रालय में माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। मंत्रालय में आवश्यक प्रक्रिया और माननीय मंत्री की उपलब्धता के कारण औसतन लगभग 20-40 दिन लगते हैं। वार्षिक लेखा/वार्षिक रिपोर्ट को लोक सभा सचिवालय को तभी भेजा जाता है जब सदन सत्र में हो अथवा सत्र में आने सभा पटल की संभावना हो। आम तौर पर, मंत्रालय को आवंटित प्रश्न दिवस पर दस्तावेज सभा पटल पर रखे जाते हैं। यद्यपि, कुछ बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण, दस्तावेज सभा पटल पर नहीं रखे गए। कभी-कभी, राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय अपनी अपेक्षित प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इसे सदन के पटल पर रखता है।

2016-17: विश्वविद्यालय ने 13 दिसंबर 2017 को दस्तावेज जमा किए और इन्हें 05.01.2018 को सभा पटल पर रखा गया । विलंब से प्रस्तुत करने का उपरोक्त कारण रहा।
2017-18: विश्वविद्यालय ने बताया है कि लेखा परीक्षा प्राधिकारियों ने वार्षिक लेखा प्राप्त करने के बाद अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 5 महीने और 15 दिनों का समय लिया। इसके बाद विश्वविद्यालय ने 10.01.2019 को कागजात जमा किए और इसे 11.02.2019 को सभा पटल पर रखा गया। विलंब के लिए उपरोक्त पूर्वपेक्षा (प्रिरिक्विजिट) को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

2018-19 नवंबर 2019 में विश्वविद्यालय में छात्रों के आंदोलन के कारण, विश्वविद्यालय ने 07.02.2020 को वार्षिक लेखा और 13.03.2020 को वार्षिक रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी। हालांकि बाद में कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगने की वजह से इसे 16.09.2020 को प्रत्यक्ष रूप से और 23.09.2020 को ई-मेल के माध्यम से लोक सभा सचिवालय को भेजा गया था। हालांकि, संसद को 23.09.2020 को कोविड महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था और लोकसभा का अगला सत्र 29.01.2021 को शुरू हुआ था और दस्तावेज 8 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत किए गए थे।

2019-20 विश्वविद्यालय ने 29.06.2021 को दस्तावेज दिए। अभी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इन्हें मौजूदा सत्र में रखा जाएगा। विश्वविद्यालय ने बताया है कि लेखा परीक्षा प्राधिकारियों ने वार्षिक लेखा प्राप्त करने के बाद अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 6 महीने का समय लिया। प्रस्तुत करने में विलंब को कोविड-19 महामारी और लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा लिए गए समय को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।"

7. यह पूछे जाने पर कि क्या दस्तावेजों को रखने में देरी से संकेत मिलता है कि संसद के समक्ष कागजात को समय पर रखने को उचित महत्व नहीं दिया गया और चीजों को गंभीरता से नहीं लिया गया, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया: -

"विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि प्रत्येक स्तर पर वह यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे निर्धारित समय के अंदर संसद के सदनों के पटल पर एक साथ रखे जाएं। विश्वविद्यालय ने आगे यह भी सूचित किया है कि भविष्य में प्रक्रिया को समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए उचित प्रयास किया जाएगा। "

8. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय/संस्थान ने उन चरणों की पहचान की है जिनमें इन वर्षों के दौरान देरी हुई है और भविष्य में देरी को कम करने के लिए वे क्या करने का प्रस्ताव रखते हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया: -

" मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को संसद से समय पर प्रस्तुत करने से संबंधित कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। मंत्रालय जेनयू सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय पर प्रस्तुत करने की सलाह देता है। "

9. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि लेखाओं के लेखापरीक्षा के मुद्दे और अंतत: लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समय पर प्राप्ति पर मंत्रालय द्वारा किस प्रकार कार्यवाही की गई, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"मंत्रालय ने इसके लिए गतिविधियों का कलेंडर परिचालित किया है। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अलग से लेखापरीक्षित रिपोर्ट की समय पर प्राप्ति सहित पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए हमेशा सीएजी प्राधिकारियों के संपर्क में रहा है।"

10. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या संस्थान को दस्तावेजों के हिंदी में अनुवाद और उसके बाद के मुद्रण के संबंध में किसी समस्या का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि विश्वविद्यालय का अपना राजभाषा प्रकोष्ठ है और वार्षिक लेखों के हिंदी संस्करण के अनुवाद और मुद्रण में कोई समस्या नहीं है।

11. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय में इस संबंध में कार्य की प्रगति की निगरानी करने और दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया: -

" मंत्रालय ने सीएचईएलएस के वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने के स्टेटस का अनुवीक्षण (मॉनीटर) करने के लिए एक पोर्टल डिजाइन किया है। पोर्टल को 31 जुलाई 2021 तक प्रारम्भ (लांच) किया जाना है। मंत्रालय विश्वविद्यालय को वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक रिपोर्ट

को समय पर प्रस्तुत करने के लिए नियमित रूप से लिखता है। जीएफआर 2017 के नियम 237 तथा व्यय विभाग के दिनांक 05.09.2011 कार्यालय ज्ञापन संख्या 17 (3)/2011-ई-॥ में स्पष्ट सुझाव दिया गया है। अतः विश्वविद्यालय निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य करने पर विशेष ध्यान दे। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय का वित्त विभाग तथा आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ संसद के समझ दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए विभाग/प्राधिकारियों के साथ समन्वय करते हैं।"

12. भविष्य में, लेखा वर्ष की समाप्ति होने से नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर संसद के समक्ष दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और जेएनयू, नई दिल्ली दोनों द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी उपचारात्मक उपायों के बारे में पूछे जाने पर शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया: -

"विश्वविद्यालय कर्मचारियों की कमी के बाद भी निर्धारित समय सारिणी का पालन करने के लिए अपनी लेखा प्रणाली को तकनीकी रूप से उन्नत कर रहा है।"

13. समिति ने 2015-2016 से 2019-2020 तक के वर्षों के लिए जेएनयू, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखों को सभापटल पर रखने में देरी के मामले पर विचार किया और इस मुद्दे पर 02.08.2021 को शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) और जेएनयू, नई दिल्ली के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

14. साक्ष्य के दौरान, सभापति ने समिति की ओर से वर्ष 2018-19 के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में काफी विलम्ब अर्थात् 13 महीने 08 दिनों का विलंब होने के कारणों के बारे में पूछताछ की। जेएनयू, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखों को सभापटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को आगे बताते हुए, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान विलम्ब के कारणों को बताया और कहा कि प्रशासन में उनके कई सहयोगी बीमार पड़ गए और कोविड अवधि के दौरान अपने कुछ सहयोगियों को भी खो दिया, जिसके कारण विलम्ब हुआ क्योंकि यह उनके नियंत्रण से बाहर था और पूरा विश्वविद्यालय बंद था; अन्यथा, विश्वविद्यालय अनुसूची का बहुत सख्ती से पालन कर रहा था।उन्होंने समिति को आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय के दस्तावेज भविष्य में निर्धारित समय अवधि के भीतर सदन के सभापटल पर रखे जाएंगे।

टिप्पणियां/सिफारिशें

15. समिति नोट करती है कि शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) और जेएनयू, नई दिल्ली ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के क्रमशः 08.03.1976, 12.05.1976 और 22.12.1977 को सभा में प्रस्तुत किए गए अपने पहले प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) के पैरा 1.16 और 3.5, दूसरे प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) के पैरा 4.16 और 4.18 तथा छठी लोक सभा के दूसरे प्रतिवेदन के पैरा 1.12 और 2.6 से 3.8 तक के पैराओं में अंतर्विष्ट सभापटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों में वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन नहीं किया है। लेखा वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के भीतर पत्रों को सभा पटल पर रखने की अनिवार्यता का पालन नहीं किया गया है। जेएनयू, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के दस्तावेजों को निर्धारित समयावधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखा गया। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2019-20 के दस्तावेजों को 7 महीने से भी अधिक विलंब से 09.08.2021 को सभा पटल पर रखा गया है।

16. जेएनयू, नई दिल्ली के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों की जांच करते हुए समिति यह नोट करके निराश थी कि अनुचित विलंब लेखाओं के संकलन, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा और दस्तावेजों के हिन्दी में अनुवाद में हुए विलंब की वजह से हुआ क्योंकि इनमें काफी समय लगा और इनसे बचा जा सकता था। हालांकि, कोविड-19 महामारी का प्रभाव समझा जा सकता है। समिति आगे यह नोट करती है कि मंत्रालय और जेएनयू, नई दिल्ली वार्षिक लेखाओं को निर्धारित समय में तैयार करने में नाकाम रहे हैं। समिति आगे यह भी नोट करती है और इस बात की सराहना करती है कि संस्थान लेखाओं में टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहा है।

17. समिति आगे यह नोट करती है कि शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग), जेएनयू, नई दिल्ली के दस्तावेजों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर निर्धारित समय में रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र नहीं बना पाया है जो एक गंभीर चिंता का विषय है। समिति सिफारिश करती है कि भविष्य में दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय को आवश्यक रूप से व्यापक व समग्र प्रयास करने चाहिए और समिति को इन निर्देशों के अनुपालन और साथ ही, भविष्य में विलंब से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों से अवगत कराया जाना चाहिए।

18. समिति मंत्रालय से यह भी आग्रह करती है कि यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से जेएनयू, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय में सभा पटल पर नहीं रखा जा सका तो उन कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण 30 दिनों के भीतर या जब भी सदन की बैठक हो, जो भी बाद में हो, सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए कि अपेक्षित दस्तावेजों को निर्धारित समय में सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जा सका।

नई दिल्ली **रितेश पाण्डेय**

15 दिसम्बर, 2021 **सभापति,**

24 अग्रहायण, 1943(शक) **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**

<u>अनुबंध - एक</u>

<u>प्रतिवेदन का पैरा 3 देखें</u>

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए जेएनयू, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभापटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	तिथि जब तक सभापटल पर रखे जाने की आवश्यकता है	वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे सभापटल पर रखने की तिथि	विलंब की सीमा
2015-16	31.12.2016	27.03.2017	02 माह 27 दिन
2016-17	31.12.2017	05.01.2018	05 दिन
2017-18	31.12.2018	11.02.2019	01 माह 11 दिन
2018-19	31.12.2019	08.02.2021	13 माह 08 दिन
2019-20	31.12.2020	09.08.2021	08 माह 09 दिन

<u>अनुबंध - दो</u>

<u>इस रिपोर्ट का पैरा 5 देखें</u>

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 तक की वार्षिक रिपोर्टों और लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने में शामिल विभिन्न गतिविधियों के कालानुक्रमिक ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

उप-प्रश्न	बिन्दु	वित्त वर्ष				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-2020
7(एक)	लेखा परीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क की तिथि	28.06.16	29.06.17	28.06.18	28.06.19	09.10.20
	लेखांकन वर्ष समाप्त होने के उपरांत लिया गया समय	2 माह 28 दिन	2 माह 29 दिन	2 माह 28 दिन	2 माह 28 दिन	6 माह 9 दिन
7(दो)	सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की तिथि	16.09.16	17.07.17	10.07.18	08.07.19	26.10.20
	लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखा परीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने के बाद लिया गया समय	2 माह 11 दिन	18 दिन	12 दिन	10 दिन	17 दिन
7(तीन)	वार्षिक लेखो के संकलन की तिथि	31.05.16	31.05.17	31.05.18	31.05.17	22.09.20
	लेखांकन वर्ष समाप्त होने के उपरांत लिया गया समय	2 माह	2 माह	2 माह	2 माह	5 माह 22 दिन
7(चार)	लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने की तिथि	28.06.16	29.06.17	28.06.18	28.06.19	09.10.20
	संबंधित लेखाकंन वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय	2 माह 28 दिन	2 माह 29 Days	2 माह 28 दिन	2 माह 28 दिन	6 माह 9 दिन
7(पांच)	सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा की तिथि और अवधि	16.09.16 20 दिन	14.08.17 20 दिन	07.08.18 28 दिन	02.08.19 25 दिन	10.12.20 1 माह 15 दिन
7(छह)	लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान/ वार्षिक लेखाओं के पूर्ण होने के उपरांत उठाए गए प्रश्नों की तिथि	06.10.16	28.08.17	20.09.18	16.09.19	11.02.21

	लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान/ वार्षिक लेखाओं के पूर्ण होने के उपरांत लेखा प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों में लिया गया समय।	3 माह 8 दिन	14 दिन	1 माह 13 दिन	2 माह 8 दिन	4 माह
7(सात**)**	वह तिथि जब लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षा संबंधी प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए गए।	19.10.16	30.08.17	01.10.18	11.10.19	08.03.21
	प्रश्नों के समाधान में लिया गया समय	13 दिन	2 दिन	12 दिन	25 दिन	25 दिन
7(आठ**)**	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने की तिथि	06.10.16	28.08.17	20.09.18	16.09.19	11.02.21
	वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा के उपरांत लिया गया समय	20 दिन	14 दिन	28 दिन	1 माह 14दिन	2 माह
7(नौ**)**	संगठन द्वारा अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने की तिथि।	07.11.16	25.09.17	13.12.18	25.11.19	08.04.21
	प्रारूप प्रतिवेदन जारी होने के बाद लिया गया समय	1 माह 1 दिन	28 दिन	2 माह 28 दिन	9 दिन	1 माह 29 दिन
7(दस**)**	लेखा परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा वार्षिक लेखाओं की प्राप्ति के उपरांत से लेकर संगठन को अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक लिया गया कुल समय	4 माह 9 दिन	2 माह 26 दिन	5 माह 15 दिन	4 माह 25 दिन	6 माह
7(ग्यारह**)**	वार्षिक रिपोर्ट को अतिंम रूप देने की तिथि	22.11.16	23.11.17	20.11.18	13.11.19	25.11.20
	वित्त वर्ष समाप्त होने के उपरांत लिया गया समय, तथा	7 माह 22 दिन	7 माह 23 दिन	7 माह 20 दिन	7 माह 13 दिन	7 माह 25 दिन
	अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत लिया गया समय	15 दिन	1 माह 28 दिन	13.12.18 को एसएआर	25.11.19 को एसएआर	08.04.21 को एसएआर प्राप्त

				प्राप्त	प्राप्त	
7(बारह**)**	सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजों का अनुमोदन कराने की तिथि।	22.11.16	08.12.17	13.12.18	27.01.20	26.05.21
	अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	15 दिन	2 माह 14 दिन	0 दिन	2 माह 2 दिन	1 माह 18 दिन
7(तेरह**)**	वह तिथि जिस पर दस्तावेजों का अनुवाद और मुद्रण शुरू हुआ	22.11.16	25.09.17	13.12.18	27.01.20	08.04.21
	प्रत्येक चरण पर कार्य पूरा करने के लिए लिया गया समय	0 दिन	0 दिन	0 दिन	0 दिन	0 दिन
7(चौदह**)**	प्रत्येक चरण पर कार्य पूरा होने के बाद सदन के सभा पटल पर रखे जाने के लिए मंत्रालय को दस्तावेज भेजने की तिथि।	06.12.16	13.12.17	10.01.19	08.02.20	29.06.21
	संगठनों द्वारा मंत्रालय को दस्तावेज भेजने के लिए लिया गया समय।	14 दिन	5 दिन	28 दिन	16 दिन	1 माह 3 दिन
7(पन्द्रह**)**	सदन में दस्तावेज सभा पटल पर रखने की तिथि।	23.03.17	05.01.18	11.02.19	08.02.21	सभा पटल पर नहीं रखा गया
	संगठन से दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत लिया गया समय	3 माह 16 दिन	23 दिन	1 माह 1 दिन	0 दिन	लागू नहीं

परिशिष्ट-एक

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2020-2021) की ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक सोमवार, 02 अगस्त, 2021 को 1500 बजे से 1630 बजे तक समिति कमरा सं. "01", संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रितेश पाण्डेय - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री पल्लब लोचन दास
4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
5. श्री एस. रामलिंगम

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक
3. श्रीमती मनजिंदर पब्बी - अवर सचिव

XX XX XX XX XX XX

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली की वार्षिक रिपोर्टों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री अमित खरे - सचिव, शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
2. श्री विनीत जोशी - अपर सचिव, शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
3. प्रो. एम. जगदीश कुमार - कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
4. प्रो. रजनीश जैन - सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
5. श्री सुभाष चंद शारू - निदेशक, शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
6. श्री पी. के. ठाकुर - वित्तीय सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
7. डॉ. जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी- संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया ।

3-5 XX XX XX XX XX

6. तत्पश्चात, समिति ने शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली से संबंधित विलंब का मामला उठाया।

7. तत्पश्चात, समिति ने शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) और जेएनयू के प्रतिनिधियों को 2015-2016 से 2019-2020 तक जेएनयू की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के संबंध में मौखिक साक्ष्य लेने के लिए एक साथ बुलाया।

8. माननीय सभापति ने समिति की बैठक में मंत्रालय और जेएनयू के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्हें बैठक बुलाए जाने का उद्देश्य बताया। सभापति ने साक्षियों को कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों के बारे में भी सूचित किया।

9. समिति ने पाया कि 2015-2016 से 2017-18 तक के वर्षों के लिए दस्तावेजों को सभापटल पर रखने में 05 दिनों से लेकर 3 महीने तक की मामूली देरी हुई थी, लेकिन वर्ष 2018-19 के लिए यह विलंब बढ़कर 13 महीने तक हो गया और वर्ष 2019-2020 के लिए जेएनयू के दस्तावेज अभी तक सभापटल पर नहीं रखे गए हैं। इसलिए, समिति ने इस संबंध में देरी के कारणों को जानना चाहा।

10. सर्वप्रथम , मंत्रालय द्वारा समिति को दिए गए वचन के अनुसार मंत्रालय के सचिव ने समिति को उस पोर्टल के बारे में अवगत कराया, जो उन्होंने 31 जुलाई, 2021 से शुरू किया था और समिति के समक्ष यह भी बताया कि लॉन्च किए जाने के 48 घंटों के भीतर, 190 में से 90 संस्थान, पहले ही पंजीकृत हो चुके थे।समिति को यह भी अवगत कराया गया कि उन्होंने शेष संस्थानों द्वारा अपना पंजीकरण कराए जाने के लिए 10 अगस्त, 2021 तक की समय सीमा दी है।सचिव ने समिति को यह भी बताया कि, माननीय सभापति के निर्देश पर, उन्होंने पोर्टल पर एक ऑटो-जेनरेटेड रिमाइंडर भी लगाया था जो स्वचालित रूप से चेतावनी नोटिस जारी करता है।

11. तत्पश्चात, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने जेएनयू के दस्तावेजों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों के बारे में एक संक्षिप्त पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया।

12. समिति द्वारा विलम्ब के कारणों के बारे में पूछे जाने पर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि ने समिति को अवगत कराया कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रशासन में उनके कई सहयोगी बीमार पड़ गए हैं। उनमें से कुछ की मृत्यु भी हो गई। इसलिए वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने से संबंधित कार्य में काफी बाधा उत्पन्न हुई। प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष यह कहा कि वे पहले समय सूची का पालन कर रहे थे और समिति को आश्वस्त किया कि वे भविष्य में भी अभ्यास जारी रखेंगे और भविष्य में भी प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत किए जाएंगे ।

13. सभापति ने विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों को उनके द्वारा दी गई त्वरित और सटीक प्रस्तुति के लिए धन्यवाद दिया और इस महामारी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

14. माननीय सभापति द्वारा यह पूछे जाने पर कि जेएनयू के वार्षिक लेखाओं को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत क्यों नहीं किया गया, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान उन्होंने जेएनयू में डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया कुशल हो सके, हालांकि, जहां तक वार्षिक लेखाओं के कम्प्यूटरीकरण का संबंध था, विश्वविद्यालय ईआरपी को लागू करके पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत प्रणाली प्राप्त करने की प्रक्रिया में था। उन्होंने समिति के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि वे अगस्त, 2022 तक जेएनयू की सभी प्रणालियों को कम्प्यूटरीकृत करने में सक्षम होंगे।

15. तत्पश्चात माननीय सभापति एवं समिति के सदस्य श्री पल्लब लोचन दास ने इस संबंध में मंत्रालय/विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत उत्तरों से वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा प्रक्रिया के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगा। समिति के सदस्य डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क ने यह भी जानना चाहा कि मंत्रालय/विश्वविद्यालय द्वारा सभी नियमों और विनियमों को अच्छी तरह से जानने के बाद भी बार-बार देरी क्यों हो रही थी और देरी से बचने के लिए उनके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे थे।मंत्रालय/जेएनयू के प्रतिनिधि ने इस संबंध में उनके द्वारा किए गए कुछ सुधारात्मक उपायों से उन्हें अवगत कराया और भविष्य में जेएनयू के दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर रखे जाने का आश्वासन दिया।

16. माननीय सभापति ने मंत्रालय/जेएनयू को भी सलाह दी कि जैसा कि पिछले वर्षों में देखा गया था,एक महीने की बार-बार होने वाली देरी से बचने के लिए, जेएनयू के दस्तावेज हर साल 30 नवंबर या 1 दिसंबर तक मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने चाहिए ताकि हर साल शीतकालीन सत्र में उन्हें सभापटल पर रखा जा सके ।

17. तत्पश्चात, माननीय सभापति ने विषय की जांच के संबंध में उपयोगी चर्चा के लिए मंत्रालय और जेएनयू के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

18-25 XX XX XX XX XX XX

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

******

(समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति संलग्न है और उसकी एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।)

XX विषय इस रिपोर्ट से संबंधित नहीं है

परिशिष्ट-दो

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की बैठक का कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक, **सोमवार**, 13 **दिसम्बर**, 2021 को 15:00 बजे से 16:30 बजे तक समिति कक्ष '**ग**', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री **रितेश पाण्डेय** - **सभापति**

सदस्य

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
5. सप्तगिरी **शंकर** उलाका

सचिवालय

1. **श्रीमती सुमन अरोड़ा** - **संयुक्त सचिव**
2. श्री **मुनीश कुमार रेवाड़ी** - अपर निदेशक
3. **श्रीमति मंजिन्दर पब्बी** - **अवर सचिव**

X X X X X

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने **वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित निम्नलिखित दस (10) प्रतिवेदन/की गई कार्रवाई प्रतिवेदन** को विचार करने के लिए लिया :-

एक. एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ,(एडसिल)नोएडा ।

दो. राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), नोएडा;

तीन. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली;

चार. केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए), दिल्ली;

पाँच. भारतीय खाद्य निगम(एफसीआई), नई दिल्ली;

छः. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर);

सात. वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), नोएडा;

आठ. (एक) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र (वीएसईजेड) प्राधिकरण ; (दो) कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सीएसईज़ेड) प्राधिकरण; (तीन) कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (केएसईजेड) प्राधिकरण; और (चार) मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र (एमईपीजेड) प्राधिकरण;

नौ. पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद (पीबीएमसी), पोर्ट ब्लेयर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब संबंधी अपने तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई; और

दस. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब संबंधी अपने इकतीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई- कार्रवाई ।

4. चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधनों के **इन दस** प्रारूप **प्रतिवेदनों** को स्वीकार किया।

5. समिति ने माननीय सभापति को **इन दस (10) प्रतिवेदनो/की गई कार्रवाई प्रतिवेदनो** को संसद में प्रस्तुत करने के लिए **अधिकृत** किया।

X X X X X

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।